न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनील आर्य (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 26 / 2009 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2009 / 00058

उनवान

1. अजीज बेग पुत्र इस्माईल बेग (फौत)
   1/1. रहीस बेग } पुत्र अजीज बेग जाति मुसलमान निवासी लुहारी तहसील व जिला धौलपुर।
   1/2. बन्टी बेग }
2. करीम बेग पुत्र इस्माईल बेग जाति मुसलमान निवासी लुहारी तहसील व जिला धौलपुर।
3. सलीम बेग पुत्र इस्माईल बेग (फौत)
   3/1. शमशाद बेग } पुत्र सलीम बेग जाति मुसलमान निवासी लुहारी तहसील व जिला धौलपुर।
   3/2. जाविद बेग }
   3/3. आशिफ बेग }
   3/4. बबली पत्नी सलीम बेग जाति मुसलमान निवासी लुहारी तहसील व जिला धौलपुर।

....................अपीलाण्ट

बनाम

1. इब्राहिम बेग पुत्र रसीद बेग (फौत)
   1/1. मुन्ना }
   1/2. रहीस } पुत्र रसीद बेग
   1/3. बबलू }
   1/4. मुमताज पुत्री रसीद बेग
   1/5. शब्बो } पुत्री रसीद बेग
   1/6. शहनाज }
   समस्त जातिगण मुसलमान निवासी लुहारी तहसील व जिला धौलपुर।
2. अजमल बेग पुत्र रसीद बेग
3. शहजाद बेग } पुत्रगण रसूल बेग
4. आजाद बेग }
5. मंजूर बेग }
6. शरीफन पत्नी रसूल बेग
7. नजमा पुत्री रसूल बेग
8. मु0 रहमान बेग पत्नी पीर बेग
   समस्त जाति मुसलमान निवासी लुहारी तहसील व जिला धौलपुर।
9. समीर बेग }
10. जहाँगीर बेग } पुत्र पीर बेग जाति मुसलमान निवासी लुहारी तहसील व जिला धौलपुर।
11. पप्पू बेग }
12. पप्पन बेग }
13. राजू बेग }
14. निजाम बेग } पुत्र रमजान बेग जाति मुसलमान निवासी कोठी धौलपुर।
15. मन्टोली }

भू० प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

16. भगवती प्रसाद } पुत्र हीरालाल जाति त्यागी निवासी लुहारी तहसील व जिला धौलपुर।
17. चरन सिंह
18. मुसम्मात शबाना बेग पत्नी कल्लन बेग
19. राज बेग पुत्र कल्लन बेग
20. मुस्ममात सहारा पुत्री कल्लन बेग
21. मुस0 आशा पुत्री कल्लन बेग
समस्त जातिगण मुसलमान निवासी ग्राम लुहारी तहसील व जिला धौलपुर।
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर।

.... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 20.02.2009 प्रकरण संख्या 145/98 उनवान इस्माईल बेग बनाम इब्राहिम बेग न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर।

अभिभाषकगण :–

1. श्री मोहन सिंह बघेला अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री राजेन्द्र सिंह राणा अभिभाषक रैस्पो0 उपस्थित।

निर्णय दिनांक :–05.03.2025

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम लुहारी तहसील धौलपुर में वादी अपीलाण्ट व प्रतिवादीगण रैस्पो0 के पूर्व पुरूष की आराजी है एवं उनके पूर्वज एक ही थे। पक्षकारान के पूर्वजो की काफी जायदाद धौलपुर व अन्य जगह स्थित थी। प्रतिवादीगण रैस्पो0 का परिवार धौलपुर में निवास करता है। विवादित आराजीयात में से साविक खसरा नम्बर 577, 579, 581, 658, 683, 661 को तन्हा वादी अपीलाण्ट के पिता राजस्थान जमींदारी एवं विस्वेदारी अधिनियम के प्रभावशील होने से पूर्व से काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं तथा बाकी खसरा नम्बरो को प्रतिवादीगण रैस्पो0 के पूर्वज काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी अपीलाण्ट व प्रतिवादीगण रैस्पो0 के पूर्वजो ने विवादित आराजी व कारोबार का बॅटवारा करीब 50 वर्ष पूर्व कर लिया था उसी बॅटवारे के मुताबिक पक्षकारान विवादित आराजी पर काबिज काश्त हैं। प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 06 के पति व अन्य प्रतिवादी रैस्पो0 के पूर्वज ने एक दावा कल्लन बेग के खिलाफ उनवानी रसूल बेग बनाम रमजान बेग बेदखली का किया, जो खारिज हुआ और विवादित आराजी पर कब्जा वादी अपीलाण्ट का माना। उक्त दावा खारिज होने के बाद प्रतिवादी रैस्पो0 ने विवादित आराजी में से अपना हिस्सा मॉगा तो वादी अपीलाण्ट के पिता ने हिस्सा देने से मना कर दिया। इस प्रकार विवादित आराजी पर कब्जा दिनांक 31.03.1975 से होने के कारण वादी अपीलाण्ट को विवादित आराजी पर स्वतः प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। यदि प्रतिवादीगण रैस्पो0 ने विवादित आराजी मे से कुछ हिस्सा को विक्रय कर दिया है तो वह वयनामा बोईड एवं नल्टी है। अतः दावा प्रस्तुत कर स्वंय को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त

हमारा नौकर नहीं माना। मिर्जा अफजल वेग बनाम कल्लन वेग के दावा में सभी छः भाई प्रतिवादी थे क्योंकि सभी भाईयो का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। यह दावा दिनांक 18.09.1994 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया। वादी अपीलाण्ट के पूर्व पुरूष ने सन् 1994 तक प्रतिवादीगण रैस्पो0 के साथ जवाब देही की है एवं एक दावा फाजिल वेग के नाम से भी चला उसमें भी वादीगण अपीलाण्ट ने रैस्पो0 के साथ जवाब देही की है। अतः अपीलाण्ट उक्त दावे की कार्यवाही एवं अपनी जवाबदेही से पाबन्द हैं। वैसे भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों की जॉच उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित छः तनकियॉ कायम की गयी हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की प्रत्येक तनकी पर कारण सहित विस्तृत विवेचना की जाकर तनकीवार तार्किक निर्णय पारित किया है। हम पाते हैं कि वादीगण अपीलाण्ट विवादित आराजी पर सन् 1975 से अपना कब्जा काश्त बताते हुये, प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा का दावा करते हैं। प्रतिवादीगण रैस्पो0 इसका खण्डन करते हुये विवादित आराजी में सभी भाईयो को बराबर का खातेदार काश्तकार बताते हैं। हमने मनन किया। प्रथम तो वादीगण अपीलाण्ट के कथनो अनुसार, विवादित आराजी बाबत् पूर्व में चले विभिन्न वादो के निर्णय की प्रति ना तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं ना ही हस्तगत अपील के साथ प्रस्तुत की गयी हैं। द्वितीय वादीगण अपीलाण्ट विवादित आराजी पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा का दावा करते हैं। परन्तु उन्होंनें विवादित आराजी पर अपने प्रतिकूल कब्जे को साबित करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल खसरा गिरदावरी संवत 2018 के अनुसार वादीगण अपीलाण्ट एवं प्रतिवादीगण रैस्पो0 के पूर्व पुरूष विवादित आराजी पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त दर्ज हैं। अतः वादीगण अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर प्रतिकूल कब्जा साबित नहीं होता है। यदि तर्क के लिये वादीगण अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर प्रतिकूल कब्जा मान भी लिया जावें, तो भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार सृजन का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त हम यह भी पाते हैं कि अपील पत्रावली पर उपलब्ध नकल दावा संख्या 198/74 उनवानी मिर्जा फाजिलवेग बनाम मिर्जा रसूल वेग में वादीगण अपीलाण्ट के पूर्व पुरूष द्वारा प्रतिवादीगण रैस्पो0 के साथ संयुक्त रूप से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उसने सभी भाईयो का विवादित आराजी में सभी भाईयो को बराबर का खातेदार एवं सभी भाईयो का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है। विधि अनुसार स्वीकारोक्ति से अच्छी कोई साक्ष्य नहीं हो सकती। अतः अपीलाण्ट अपने पिता की जवाबदेही एवं कथनो से प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी संवत 2053–56 में वादीगण अपीलाण्ट एवं प्रतिवादीगण रैस्पो0 विवादित आराजीयात पर सहखातेदार दर्ज हैं। इसी प्रकार नकल खसरा गिरदावरी संवत 2022–25 प्रदर्श 4 में भी वादीगण अपीलाण्ट एवं प्रतिवादीगण रैस्पो0 के पूर्व पुरूष की संयुक्त रूप

से काश्त दर्ज है। उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में अपना वाद सिद्ध करने में सफल नहीं हुये हैं। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय ने उचित तौर पर वादीगण अपीलाण्ट का दावा खारिज किया है। जिसमें हम हमारे हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। अतः हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2009 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 05.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल 6—7, जाब्ता दीवानी)
Civil Procedure Code] Appendi0 D&1)
अज अदालत भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर, कैम्प धौलपुर
व इजलास श्री सुनील आर्य (आर०ए०एस०)

अपील सख्या:— 26 / 2009 (223 आर० टी० एक्ट)
आरसीएमएस संख्या — 2009 / 00058

उनवान

1. अजीज बेग पुत्र इस्माईल बेग (फौत)
   1 / 1. रहीस बेग } पुत्र अजीज बेग जाति मुसलमान निवासी लुहारी तहसील व जिला धौलपुर।
   1 / 2. बन्टी बेग
2. करीम बेग पुत्र इस्माईल बेग जाति मुसलमान निवासी लुहारी तहसील व जिला धौलपुर।
3. सलीम बेग पुत्र इस्माईल बेग (फौत)
   3 / 1. शमशाद बेग
   3 / 2. जाविद बेग } पुत्र सलीम बेग जाति मुसलमान निवासी लुहारी तहसील व जिला धौलपुर।
   3 / 3. आशिफ बेग
   3 / 4. बबली पत्नी सलीम बेग जाति मुसलमान निवासी लुहारी तहसील व जिला धौलपुर।

.....................अपीलाण्ट

अधिकारी पदेन राजस्व अपील ... कैम्प धौलपुर भरतपुर

बनाम

1. इब्राहिम बेग पुत्र रसीद बेग (फौत)
   1 / 1. मुन्ना
   1 / 2. रहीस } पुत्र रसीद बेग
   1 / 3. बबलू
   1 / 4. मुमताज पुत्री रसीद बेग
   1 / 5. शब्बो पुत्री } रसीद बेग
   1 / 6. शहनाज

   समस्त जातिगण मुसलमान निवासी लुहारी तहसील व जिला धौलपुर।
2. अजमल बेग पुत्र रसीद बेग
3. शहजाद बेग } पुत्रगण रसूल बेग
4. आजाद बेग
5. मंजूर बेग
6. शरीफन पत्नी रसूल बेग
7. नजमा पुत्री रसूल बेग
8. मु०रहमान बेग पत्नी पीर बेग

समस्त जाति मुसलमान निवासी लुहारी तहसील व जिला धौलपुर।

9. समीर बेग
10. जहाँगीर } पुत्र पीर बेग जाति मुसलमान निवासी लुहारी तहसील व जिला धौलपुर।
11. पप्पू बेग
12. पप्पन बेग
13. राजू बेग
14. निजाम बेग } पुत्र रमजान बेग जाति मुसलमान निवासी कोठी धौलपुर।
15. मन्टोली
16. भगवती प्रसाद } पुत्र हीरालाल जाति त्यागी निवासी लुहारी तहसील व जिला धौलपुर।
17. चरन सिंह
18. मुसम्मात शबाना बेग पत्नी कल्लन बेग
19. राज बेग पुत्र कल्लन बेग
20. मुस्ममात सहारा पुत्री कल्लन बेग
21. मुस० आशा पुत्री कल्लन बेग

    समस्त जातिगण मुसलमान निवासी ग्राम लुहारी तहसील व जिला धौलपुर।
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर ।

..................रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 20.02.2009 प्रकरण संख्या 145/98 उनवान इस्माईल बेग बनाम इब्राहिम बेग न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अपीलांट अभिभाषक **श्री मोहन सिंह बघेला** उपस्थित व रेस्पोडेंट अभिभाषक **श्री राजेन्द्र सिंह राणा** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि अपील अपीलांट **खारिज** की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2009 के आदेश यथावत रखे जाते है। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **05** माह 03 सन् **2025** को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत

भू० प्रबन्धक अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

औहदा

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जिदावा			स्टाम्प अर्जिदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वहज सबूत			स्टाम्प वहज सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		

मुहर

दस्तखत

भू० प्रबन्धक अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

औहदा